

## जनसंपर्क संचालनालय

छत्तीसगढ़ शासन

इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन :— 0771—2221616

क्रमांक 4082 / जसंसं / वि.अ.प्र. / 2021

नवा रायपुर, दिनांक : 26 / 10 / 2021

गणतंत्र दिवस परेड 2022 के अवसर पर नई दिल्ली में चयनित होने पर प्रदर्शित की  
जाने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी निर्माण के लिए

### अल्पकालिक द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, नवा रायपुर की ओर से नई दिल्ली में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस 2022 की राष्ट्रीय परेड में चयन होने पर प्रदर्शित होने वाली झांकी की डिजाईन/मॉडल प्रस्तुत करने तथा अनुमोदन पश्चात तथा रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार फेब्रिकेशन आदि कार्य कर झांकी तैयार करने हेतु टर्न—की आधार पर अनुभवी झांकी/टेब्ल्यू निर्माताओं/फर्मों से मुहरबंद अल्पकालिक द्वितीय निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक (झांकी) टेब्ल्यू निर्माता/फर्म जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट [www.dprcg.gov.in](http://www.dprcg.gov.in) & [www.cg.nic.in/dpr](http://www.cg.nic.in/dpr) से निविदा प्रारूप, नियम—शर्त डाउनलोड कर निविदा में भाग ले सकते हैं। निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रु. 2,000/- (दो हजार रुपए मात्र) (वापसी योग्य नहीं) का ‘संचालक, जनसंपर्क संचालनालय’ रायपुर के नाम से रायपुर में देय डिमाण्ड ड्रॉफ्ट टेक्निकल बिड लिफाफा के साथ जमा करना अनिवार्य है। उक्त निविदा में किसी प्रकार परिवर्तन अथवा संशोधन होने पर जानकारी उक्त वेबसाइट में प्रदर्शित की जायेगी। संशोधन सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। निविदाकर्ता जिन्होंने पूर्व में प्रथम निविदा भरा है, उनके निविदा प्रपत्र मान्य होंगे।

(1) पूर्णतः भरे प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 08 / 11 / 2021 दोपहर 2 बजे तक।

(2) तकनीकी प्रस्ताव प्रपत्र खोलने की तिथि दिनांक 08 / 11 / 2021 सायं 3 बजे से।

आयुक्त  
जनसंपर्क संचालनालय  
छत्तीसगढ़ शासन

**जनसंपर्क संचालनालय**  
**छत्तीसगढ़ शासन**  
**नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर**

**छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी निर्माण के नियम एवं शर्तें**

गणतंत्र दिवस परेड 2022 (26 जनवरी 2022) के अवसर पर नई दिल्ली में चयनित होने पर प्रदर्शित की जाने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी के निर्माण के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

1. निविदाकार (निविदा जमा करने वाले) को झांकी निर्माण की दर टर्न—की आधार पर मटेरियल सहित दर्शानी होगी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उक्त झांकी हेतु चयनित हुए कलाकारों पर होने वाले व्यय पृथक से जनसंपर्क संचालनालय द्वारा वहन किया जाएगा। इसलिए निविदा दर में कलाकारों पर होने वाले व्यय को शामिल नहीं किया जाए।
2. गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह, नई दिल्ली 2022 के लिए राज्य की झांकी निर्माण के लिए फर्म के पास नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की झांकी निर्माण का 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। साक्ष्य हेतु निविदा के साथ उक्त संबंध में कार्यादेश एवं फोटोग्राफ्स की प्रतियां संलग्न करना होगा। निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की गई थीमों के अनुसार डिजाईन बनाकर निविदा के साथ जमा करनी होगी।
3. निविदा प्रपत्र एवं नियम—शर्तों को जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर के वेबसाईट [www.dprcg.gov.in](http://www.dprcg.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. निविदा के साथ संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर (Director of Public Relation, Raipur) के नाम से भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट रूपए 1,00,000/- (एक लाख रूपए) (बिना व्याज के वापसी योग्य) सुरक्षा निधि का एवं 2,000 रुपये (वापसी योग्य नहीं) निविदा प्रपत्र शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। नगद राशि/चैक/एफ.डी.आर. स्वीकार नहीं किये जायेंगे। डिमांड ड्राफ्ट के अभाव में निविदा अस्वीकृत मानी जायेगी।
5. निविदायें (तकनीकी बिड लिफाफा एवं वित्तीय बिड लिफाफा) अलग—अलग सील्ड लिफाफे में होना चाहिए। तकनीकी बिड लिफाफे पर तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड लिफाफे पर वित्तीय बिड स्पष्ट अक्षरों में सुविधा की दृष्टि से अंकित करें।
  - (क) तकनीकी बिड लिफाफा (Technical Bid):— इस लिफाफे में सभी शर्तें, अर्नेस्टमनी (सुरक्षा निधि), निविदा प्रपत्र शुल्क एवं अन्य वांछित अभिलेख, होने चाहिए। डिजाईन का साइज बड़ा होने पर उसका लिफाफा/रोल लिफाफा अलग से भी दिया जा सकता है। अभिलेखों का चेक लिस्ट प्रारूप संलग्न है।
  - (ख) वित्तीय बिड लिफाफा (Financial Bid):—इसमें केवल वित्तीय भाव पत्र (दरें) निविदाकार का नाम, हस्ताक्षर एवं संस्था मोहर के साथ होने चाहिए।
6. जनसंपर्क संचालनालय की चयन समिति द्वारा जिस निविदाकार की डिजाईन एवं तकनीकी बिड स्वीकृत की जाएगी उसी की (वित्तीय बिड) (Financial Bid):—भाव पत्र (दरें) खोली जायेगी। अन्य निविदाकार जिनकी डिजाईन स्वीकृत नहीं होगी उनकी (वित्तीय बिड) भाव पत्र (दरें) नहीं खोली जाएगी।

7. ज्ञांकी निर्माण(टेब्ल्यू) के लिए दिये गये निर्देशों तथा एकशन प्लान के अनुसार संतोषजनक निर्माण न होने, विलम्ब होने पर अथवा निम्न स्तर का निर्माण होने अथवा निम्न कोटि की सामग्री के उपयोग करने पर सुरक्षा निधि राशि (निविदा के साथ संलग्न अमानत राशि) राजसात कर ली जाएगी और समानुपातिक राशि की कटौती की जा सकती है। अनुबंध हस्ताक्षरित होने के बाद कार्य आदेश और ज्ञांकी निर्माण हेतु निर्धारित स्थान पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति दी जाएगी। ज्ञांकी निर्माण कार्य आदेश मिलने के पश्चात 24 घंटे के अंदर) निर्धारित स्थल पर कार्य प्रारंभ करना होगा। स्वीकृत निविदाकार को तीन दिवस के भीतर 50/- रूपए (पचास रूपए) का नॉन जुडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध में उल्लेखित शर्तों का हवाला देते हुए निष्पादन करना होगा।
8. ज्ञांकी (टेब्ल्यू) के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री (रक्षा मंत्रालय के ट्रेक्टर और ट्रेलर को छोड़कर) शासन की होगी। निविदाकार यदि निर्माण सामग्री कार्य पश्चात् वापस लेना चाहे तो निविदा में इस राशि का उल्लेख करना होगा।
9. ज्ञांकी (टेब्ल्यू) देना या न देना शासन की इच्छा पर निर्भर है, ज्ञांकी समाप्ति के पश्चात् डिस्मेटलिंग का कार्य निर्माता/ठेकेदार को ही करना अनिवार्य है। यह कार्य एक निर्धारित समय पर रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार करना होगा। यदि ज्ञांकी या इसका कुछ भाग परेड के बाद अन्यत्र स्थापित करना निर्णित होता है तो उक्त कार्य भी निविदाकार को करना होगा। दूरी 25 से 30 किलोमीटर हो सकती है। इसके लिए अलग से राशि देय नहीं होगी।
10. रक्षा मंत्रालय की निर्णायक कमेटी द्वारा समय–समय पर बताये गए बदलाव या परिवर्तन चयनित निविदाकार द्वारा ज्ञांकी में तुरंत करना होगा। किसी भी प्रकार के बदलाव, परिवर्तन आदि का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
11. ज्ञांकी (टेब्ल्यू) निर्माण का कार्य रक्षा मंत्रालय की निर्णायक समिति द्वारा स्वीकृत मॉडल की डिजाइन और स्पेसीफिकेशन के अनुसार निर्धारित तिथि समय में करना अनिवार्य है।
12. रक्षा मंत्रालय की निर्णायक समिति द्वारा ज्ञांकी (टेब्ल्यू) चयन किए जाने के बाद ज्ञांकी की थीम गीत की रिकार्डिंग की जिम्मेदारी चयनित निविदाकार की होगी, इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
13. निविदाकार को संपूर्ण कार्य निर्धारित अवधि में करने के लिए एकशन प्लान निविदा के साथ देना होगा, न देने की स्थिति में निविदा अस्वीकृत भी की जा सकती है। विभागीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
14. संस्था का पेन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीकरण की प्रतियां तथा संस्था का वित्तीय वर्ष, 2017–2018, 2018–2019, 2019–2020 के आयकर रिटर्न एवं कम्प्युटेशन की प्रतियां तकनीकी बिड में संलग्न करना होगा। वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में ज्ञांकी निर्माण कार्य का औसतन वार्षिक टर्न ओवर रूपए 25.00 लाख (पच्चीस लाख रूपए) से कम नहीं होना चाहिए। इस आशय का चार्टड एकाउटेन्ट से सत्यापित टर्न ओवर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सी.ए. से सत्यापित टर्न ओवर प्रमाण–पत्र में ज्ञांकी निर्माण कार्य का टर्न ओवर उल्लेख होना अनिवार्य है।
15. ज्ञांकी निर्माण(टेब्ल्यू) की स्वीकृत निविदा राशि का तीन किश्तों में टी.डी.एस., जी.एस.टी.(सर्विस टैक्स) काटकर भुगतान किया जाएगा। प्रथम किश्त 50 प्रतिशत स्ट्रेक्चर पूर्ण होने पर द्वितीय किश्त 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर और तीसरी एवं अंतिम किश्त 25 प्रतिशत का भुगतान डिस्मेटलिंग के पश्चात ज्ञांकी निर्माण सामग्री की वापसी हेतु निर्धारित राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

16. झांकी के सफलतापूर्वक समापन के 45 दिनों के भीतर स्वीकृत निविदाकार की अमानत राशि को बिना ब्याज के मुक्त किया जाएगा।
17. झांकी में कार्य करने वाले मजदूर, कारीगर तथा उसके फेंड्रिकेटर का पुलिस सत्यापन निविदाकार द्वारा कराया जाएगा। जन-धन की क्षति के संबंध में निविदाकार फर्म इन्शोरेंस करा सकती है। किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जनसंपर्क संचालनालय जिम्मेदार नहीं होगा। यदि पुलिस सत्यापन में किसी सदस्य को अयोग्य पाया जाता है तो उसे तत्काल हटा दिया जाएगा। उसके स्थान पर अच्छे चाल-चलन वाले दूसरे सदस्य को रखने की कार्यवाही निविदाकार को करनी होगी। झांकी (टेब्ल्यू) के ऊपर/परेड पथ पर कोई भी स्थानीय व्यक्ति/कलाकार शामिल करने का अधिकार जनसंपर्क संचालनालय के पास सुरक्षित होगा। आवश्यकता पड़ने पर टीम लीडर चयन करने हेतु अधिकृत होंगे।
18. दिनांक 20 जनवरी 2022 तक झांकी (टेब्ल्यू) का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। अन्यथा समानुपातिक राशि की कटौती कर भुगतान किया जाएगा। झांकी को सुरक्षित राजपथ पर प्रदर्शन की सम्पूर्ण कार्रवाई/जवाबदारी निविदाकार की होगी।
19. चूंकि यह राष्ट्रीय स्तर का अति महत्वपूर्ण विशिष्ट कार्य है, इसे समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करना होता है। निविदा स्वीकार करते समय फर्म की क्षमता, योग्यता, गुणवत्ता, आर्थिक सुदृढ़ता एवं उनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों के अनुभव समिति द्वारा परखा एवं मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए निविदा की न्यूनतम दर होने से यह आवश्यक नहीं होगा कि उसे ही स्वीकृत किया जाए।
20. चूंकि यह राष्ट्रीय स्तर का कार्य है इसीलिए केवल वही निविदाकर्ता आवेदन करें, जो इसकी समस्त शर्तें पूर्ण करते हों। निविदाकार बायोडाटा में अपने वास्तविक कार्य अनुभव का उल्लेख करते हुए प्रमाणिक अभिलेख रखें।
21. बिना कोई कारण बताये निविदा स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार संचालक, जनसंपर्क रायपुर छत्तीसगढ़ या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को होगा।
22. अंतिम भुगतान, टी.डी.एस. और जी.एस.टी. की राशि जो उस समय प्रभावशील होगी, की कटौती के उपरांत किया जाएगा।
23. निविदाकार निविदा शर्तों के प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर झांकी (टेब्ल्यू) निर्माण 2022 की सभी शर्तें स्वीकार हैं, संबंधी हस्ताक्षर करें।
24. गणतंत्र दिवस परेड 2022 नई दिल्ली में राज्य की झांकी (टेब्ल्यू) की रक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सभी प्रक्रिया को पूर्ण करने की जबाबदेही निविदाकार की होगी।
25. उपरोक्त नियम एवं शर्तों में किसी भी समय आवश्यकतानुसार शिथिलता एवं परिवर्तन करने का अधिकार संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर को होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा और न ही किसी प्रकार के पत्र का जबाब दिया जाएगा।
26. निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार फर्म को उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं। फर्म को रु.50/- के स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में स्व हस्ताक्षरित घोषणा—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
27. किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र जिला न्यायालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ ही होगा।
28. **आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता):-** किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर—सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।

## चेकलिस्ट

### टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत की जाने वाली दस्तावेजों की सूची

1. निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रु. 2,000/- का संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर /Director of Public Relations, Raipur के नाम से रायपुर में देय डीडी क्र.....  
दिनांक ..... रु. 2000/-
2. अमानत राशि रु. 1,00,000/- का संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर /Director of Public Relations, Raipur के नाम से रायपुर में देय डीडी क्र.....  
दिनांक ..... रु. 1,00,000/-
3. गणतंत्र दिवस, नई दिल्ली में झांकी (टेब्ल्यू) निर्माण का 03 वर्ष का अनुभव संबंधी प्रमाण—पत्र की प्रतियां एवं फोटोग्राफ्स निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करना है।

क्र.	नियोक्ता (जिस राज्य अथवा मंत्रालय हेतु झांकी का निर्माण किया गया है)	कार्य अनुभव संबंधी कार्यादेश/अनुभव प्रमाण—पत्र/संतोषजनक सेवा देने संबंधी प्रमाण—पत्र

4. झांकी (टेब्ल्यू) हेतु प्रस्तावित थीम अनुसार तैयार किया गया पृथक—पृथक डिजाइन।
5. झांकी (टेब्ल्यू) से संबंधित सम्पूर्ण कार्य निर्धारित अवधि में करने के लिए एकशन प्लान।
6. वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में झांकी निर्माण कार्य का औसतन वार्षिक टर्न ओवर रूपए 25.00 लाख (पच्चीस लाख रुपए) से कम नहीं होना चाहिए। इस आशय का चार्टड एकाउटेन्ट से सत्यापित टर्न ओवर प्रामाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सी.ए.से सत्यापित टर्न ओवर प्रमाण—पत्र में झांकी निर्माण कार्य का टर्न ओवर उल्लेख होना अनिवार्य है।
7. संस्था का पेन नम्बर एवं जी.एस.टी. पंजीयन की प्रति।
8. संस्था का वित्तीय वर्ष, 2017–2018, 2018–2019, 2019–2020 के आयकर रिटर्न एवं कम्प्युटेशन की प्रतियां।
9. निर्धारित प्रारूप में रु. 50/- के स्टॉम्प पेपर में स्वप्रमाणित घोषणा—पत्र की मूल प्रति।

(रु. 50/- के स्टाम्प पेपर में घोषणा-पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

## घोषणा-पत्र

मैं \_\_\_\_\_ संस्था प्रमुख निवासी \_\_\_\_\_ जनसंपर्क संचालनालय द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार संचालक, जनसंपर्क संचालनालय को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे जनसंपर्क संचालनालय के निविदा के सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार हैं।

यह कि हमारी संस्था \_\_\_\_\_ किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेट (काली सूची) नहीं है।

स्थान \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

फर्म/संस्था का नाम व मोहर

दूरभाष/मोबाइल नंबर

## वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप

(फर्म के लेटर पेड में जमा करना है)

1. गणतंत्र दिवस परेड 2022 (26 जनवरी 2022) के अवसर पर नई दिल्ली में प्रदर्शित की जाने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी के निर्माण की दर (टर्न-की आधार पर मॉडल, डिजाइन, फेब्रिकेशन एवं संपूर्ण मटेरियल, राजपथ पर प्रदर्शित करने एवं कार्य समाप्ति पश्चात निर्देशानुसार डिसमेल्टिंग सहित एकमुश्त दर) शामिल करें।
2. झांकी प्रदर्शन के बाद डिसमेल्टिंग पश्चात सामग्री वापसी की स्थिति में जनसंपर्क संचालनालय को भुगतान/झांकी निर्माण के अंतिम देयक में समायोजन हेतु दर शामिल करें।

निविदा सूचना क्रमांक— .....

दिनांक ...../...../2021

क्रमांक	धीम का विषय	फर्म का नाम दर (जीएसटी/समस्त शुल्क सहित)
1.	(1) शहीद वीरनारायण सिंह	एकमुश्त दर रु..... शब्दों में रु.....
	(2) बस्तर में स्वतंत्रता संग्राम (भूमकाल और परलकोट विद्रोह)	एकमुश्त दर रु..... शब्दों में रु.....
	(3) कंडेल नहर सत्याग्रह—महात्मा गांधी की छत्तीसगढ़ यात्रा	एकमुश्त दर रु..... शब्दों में रु.....
	(4) भिलाई इस्पात संयंत्र और पंडित रविशंकर जलाशय	एकमुश्त दर रु..... शब्दों में रु.....
	(5) गोधन न्याय योजना	एकमुश्त दर रु..... शब्दों में रु.....
झांकी प्रदर्शन के बाद डिसमेल्टिंग पश्चात सामग्री वापसी की स्थिति में		
2.	(1) शहीद वीरनारायण सिंह	दर रु..... शब्दों में रु.....
	(2) बस्तर में स्वतंत्रता संग्राम (भूमकाल और परलकोट विद्रोह)	दर रु..... शब्दों में रु.....
	(3) कंडेल नहर सत्याग्रह—महात्मा गांधी की छत्तीसगढ़ यात्रा	दर रु..... शब्दों में रु.....
	(4) भिलाई इस्पात संयंत्र और पंडित रविशंकर जलाशय	दर रु..... शब्दों में रु.....
	(5) गोधन न्याय योजना	दर रु..... शब्दों में रु.....

उपरोक्त दर के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज नहीं दिया जाएगा।

हस्ताक्षर  
(पूरा नाम)  
फर्म/संस्था का नाम व मोहर  
दूरभाष/मोबाइल नंबर

गणतंत्र दिवस 2022 नई दिल्ली हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की प्रस्तावित झांकी थीम निम्नानुसार है—

- (1) शहीद वीरनारायण सिंह
  - (2) बस्तर में स्वतंत्रता संग्राम (भूमकाल और परलकोट विद्रोह)
  - (3) कंडेल नहर सत्याग्रह—महात्मा गांधी की छत्तीसगढ़ यात्रा
  - (4) भिलाई इस्पात संयंत्र और पंडित रविशंकर जलाशय
  - (5) गोधन न्याय योजना
-